राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

मु0नं0 41/2019 आदेश दिनांकः 23.10.2019

अनुवानी

राजस्थान सरकार बनाम आबादी ग्राम दूधवा खारा

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट व नियम 369 राज. भू–राजस्व (भू–अ.) नियम 1957

आदेश

तहसीलदार, चूरू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दूधवा खारा पटवार मण्डल दूधवा खारा तहसील चूरू जिला चूरू की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता संख्या 1 में वन टू वन मैपिंग का कार्य सम्पादित करने के लिये खसरा नम्बर 896/1086 की बजाय 893/1086 शुद्ध किया जाना चाहिए। भू–अभिलेख निरीक्षक दूधवा खारा तथा हल्का पटवारी, दूधवा खारा द्वारा अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 896/1086 की बजाय 893/1086 शुद्ध किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार, चूरू ने भी खसरा नम्बर 896/1086 की बजाय 893/1086 शुद्ध किया जाना उचित बताया है। उक्त रिपोर्टों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः पटवारी हल्का दूधवा खारा, भू–अभिलेख निरीक्षक, दूधवा खारा तथा तहसीलदार, चूरू की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम दूधवा खारा पटवार मण्डल दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता संख्या 1 में खसरा नम्बर 896/1086 के स्थान पर 893/1086 दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

आदेश आज दिनांक 23.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)

उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी चूरू